

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (जिला झुझुनू) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)
 राजस्व वादपत्र संख्या :- 153/2021
 जीसीएमएस नं. :- 2021/441

अनिता सैनी पत्नी श्री नवल किशोर सैनी जाति माली निवासी पोदार कॉलेज के पास, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. अंजू कुमारी पुत्री रामोतार
2. ईशर पुत्र लिखमा
3. कमला पत्नी स्व. गिरधारी
4. नवरंग पुत्र गिरधारी
5. निर्मला पुत्री रामोतार
6. पतासी पत्नी स्व. नाथू
7. पुरुषोत्तम पुत्र नाथू
8. भाना पुत्र दयाला
9. मंजेश पुत्री रामोतार
10. विजय कुमार पुत्र रामोतार
11. शंभू पुत्र नाथू
12. सुभाष पुत्र गिरधारी
13. सागरमल पुत्र मना
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धुमचक्कर, नवलगढ़
15. झुझुनू सहाकारी भूमि विकास बैंक नवलगढ़
16. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू


प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते विभाजन तारीख रजु : 27.09.2021

अधिवक्ता वादी : श्री आन्नदीलाल सैनी
 प्रतिवादी सं. 1 लगा. 15: एक पक्षीय
 प्रतिवादी सं. 16 : पैरो. राज.

--:निर्णय:--

निर्णय दिनांक : 01.05.2024


 उपखण्ड अधिकारी
 नवलगढ़ (झुझुनू)

वाद वादी इस कदर पेश किया गया कि ग्राम झरडावाली ढाणी सरहद में स्थित भूमि वादग्रस्त ख. नं. 211 रकबा 1.53 है0, भूमि खसरा नं. 472 रकबा 1.04 है0, खसरा नं. 473 रकबा 1.35 है0, ख.नं. 474 रकबा 0.03 है0, ख.नं. 476 रकबा 1.17 है0, ख.नं. 481 रकबा 1.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 6.51 है0 का विधिवत रूप से खात विभाजन किया जावे तथा वादिया के कुल-भूमि में स्थित 143/651 वे हिस्से कि खातेदारी वादिया को वादिया के कब्जे काश्त कि भूमि खसरा नं. 473 के उत्तरी-पश्चिम कोर्नर कि भूमि का अलग से वादिया के नाम खाता कायम किया जावें व शेष भूमियों का खाते प्रतिवादी नं. 1 लगा. 13 के अकेलो के नाम कायम किया जावे, नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार आवश्यक दुरस्ती व संशोधन किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर वाद अवलोकन दर्ज किया गया तथा तलवी प्रतिवादीगण कि जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 15 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 16 पैरो. राज. उपस्थित होराजहित निहत नही होने से कोई आपत्ति व्यक्त नही की गई। श. वादी ने फातम व इरफान का शपथ पत्र पेश किया गया। बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार होने से अपने हिस्से का विभाजन करवाने का अधिकारी है।

वाद वादी न्यायोचित होने से प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया कि उक्त विवादित भूमि ग्राम झरडावाली ढाणी की सरहद में स्थित वादग्रस्त ख.नं. 211 रकबा 1.53 है0 भूमि खसरा नं. 472 रकबा 1.04 है0, भूमि खसरा नं. 473 रकबा 1.35 है0, खसरा नं. 474 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 475 रकबा 0.03, खसरा नं. 476 रकबा 1.17 है0, खसरा नं. 481 रकबा 1.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 6.51 है0 के लिए तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि उपरोक्त प्रश्नगत कृषि भूमि के बारे में इस न्यायालय के निर्णयानुसार तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के नियम 18 लगा. 21 को मध्यनजर रखते हुये, पक्षकारान की मौजूदगी में युक्तियुक्त रास्तो को ध्यान में रखते हुये मुताबिक प्राथमिक निर्णय, घोषित खातेदारी व रिकॉर्ड हिस्से अनुसार पक्षकारन के कब्जे काश्त विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे। प्रकरण में वादीया फातमा का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर अनिता सैनी को वादी पक्षकार संयोजित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2023/130 दिनांक 12.01.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश न्यायालय किया गया।

बहस अधिवक्ता पेश होने पर बगौर सुनी गई, दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाने की इस्तदुआ की है तथा दौराने बहस निवेदन किया कि हमें बंटवाड़ा रिपोर्ट स्वीकार है लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

—:: आदेश ::—

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-झरडावाली ढाणी के खाता सं. 92 के खसरा नं. 211,472,473,474,475,476,481 किता 7 रकबा 6.51 है0 भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-


क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म	लगान (रुपए)	रंग
----------	----------------------------------	----------	-----------------	-------	-------------	-----

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झरडावाली)

			में)			
1	अनिता सैनी पत्नी नवलकिशोर सैनी हि0 पूर्ण जाति माली सा. पोदार कालेज के पास नवलगढ़ हि. पूर्ण राहिन केनरा बैंक शाखा नवलगढ़ मूर्तहीन	473	1.35	बाराणी-1	1.35	-
	किता-	01	1.35			
2	अंजू कुमारी पुत्री रामोतार हि. 452/51600 ईशर पुत्र लिखमा हि. 1850/51600 कमला पत्नि स्व. गिरधारी हि.127/516 नवरंग पुत्र गिरधारी हि. 127/516 राहिन हि. 1085/5160 बीआरकेजीबी शाखा घुमचक्कर नवलगढ़ निर्मला पुत्री रामोतार हि. 452/51600 पतासी पत्नी स्व. नाथू हि. 1808/51600 पुरुषोत्तम पुत्र नाथू हि. 1808/51600 भाना पुत्र दयाला हि. 1808/51600 मंजेश पुत्री रामोतार हि. 453/51600 विजय कुमार रामोतार हि. 453/51600 शंनू पुत्र नाथू हि. 1808/51600 सुमाष पुत्र गिरधारी हि. 127/516 राहिन हि. 1085/5160 बीआरकेजीबी शाखा घुमचक्कर नवलगढ़ मूर्तहीन सागर पुत्र मना हि. 1808/51600 राहिन झु.स.भू.वि. बैंक शाखा नवलगढ़ अनिता सैनी पत्नी नवल किशोर सैनी हि. 8/516 राहिन केनरा बैंक शाखा नवलगढ़	211 472 474 475 476 481	1.53 1.04 0.03 0.03 1.17 1.36	बाराणी-1 बाराणी-1 बाराणी-1 बाराणी-1 बाराणी-1 बाराणी-1	- - - - - -	- - - - - -
	किता -	06	5.16			

तदनुसार तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग माना जावे। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को सर-ए-इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।


 (जय सिंह) RAS
 उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
 (जिला-झुझुनू)

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबा दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम नवलगढ़ जिला-झुझुनू

बईजलास :- श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वादपत्र संख्या :- 153/2021

जीसीएमएस नं. :- 2021/441

अनिता सैनी पत्नी श्री नवल किशोर सैनी जाति माली निवासी पोदार कॉलेज के पास, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. अंजू कुमारी पुत्री रामोतार
2. ईशर पुत्र लिखमा
3. कमला पत्नी स्व. गिरधारी
4. नवरंग पुत्र गिरधारी
5. निर्मला पुत्री रामोतार
6. पतासी पत्नी स्व. नाथू
7. पुरुषोत्तम पुत्र नाथू
8. भाना पुत्र दयाला
9. मंजेश पुत्री रामोतार
10. विजय कुमार पुत्र रामोतार
11. शंभू पुत्र नाथू
12. सुभाष पुत्र गिरधारी
13. सागरमल पुत्र मना
14. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धुमचक्कर, नवलगढ़
15. झुझुनू सहाकारी भूमि विकास बैंक नवलगढ़
16. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू-ब-रू-..... व हाजरी श्री आन्नदी लाल सैनी, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई एवं श्री मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा-झरडावाली ढाणी के खाता सं. 92 के खसरा नं. 211,472,473,474,475,476,481 किता 7 रकबा 6.51 है० भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	लगान (रुपए)	रंग
1	अनिता सैनी पत्नी नवलकिशोर सैनी हि० पूर्ण जाति माली सा. पोदार कालेज के पास नवलगढ़ हि. पूर्ण राहिन केनरा बैंक शाखा नवलगढ़ मूर्तहीन	473	1.35	बारानी-1	1.35	-
	किता-	01	1.35			

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनू)

2	अंजू कुमारी पुत्री रामोतार हि. 452/51600	211	1.53	बाराणी-1	-	-
	ईशर पुत्र लिखमा हि. 1850/51600	472	1.04	बाराणी-1		
	कमला पत्नि स्व. गिरधारी हि. 127/516	474	0.03	बाराणी-1		
	नवरंग पुत्र गिरधारी हि. 127/516 राहिन	475	0.03	बाराणी-1		
	हि. 1085/5160 बीआरकेजीबी शाखा	476	1.17	बाराणी-1		
	घुमचक्कर नवलगढ़	481	1.36	बाराणी-1		
	निर्मला पुत्री रामोतार हि. 452/51600					
	पतासी पत्नी स्व. नाथू हि. 1808/51600					
	पुरुषोत्तम पुत्र नाथू हि. 1808/51600					
	भाना पुत्र दयाला हि. 1808/51600					
	मंजेश पुत्री रामोतार हि. 453/51600					
	विजय कुमार रामोतार हि. 453/51600					
	शंभू पुत्र नाथू हि. 1808/51600					
	सुभाष पुत्र गिरधारी हि. 127/516 राहिन					
	हि. 1085/5160 बीआरकेजीबी शाखा					
	घुमचक्कर नवलगढ़ मूर्तहीन					
	सागर पुत्र मना हि. 1808/51600 राहिन					
	शु.स.भू.वि. बैंक शाखा नवलगढ़					
	अनिता सैनी पत्नी नवल किशोर सैनी हि.					
	8/516 राहिन केनरा बैंक शाखा नवलगढ़					
	किता -	06	5.16			

तदनुसार तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग माना जावे।

जन.....-..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह...
-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 01 माह 05 सन 2024 को जारी किया गया।

(जय सिंह) RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
(जिला-शुशुंनू)

मोहर

.मुददई	रुपया पैसे	मुददासलह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	-	मुतफरिक मिजान	-